

प्रेसनोट दिनांक 15.06.2022

1. दिनांक 14.06.22 को वादी श्री अम्बूज सिंह पुत्र भगवान सिंह नि० मलेथू कनक थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्यजीत सिंह पुत्र ब्रिजेन्द्र सिंह नि० मलेथू कनक थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 231/22 धारा 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.06.22 को वादी श्री गुरु प्रसाद लेखपाल क्षेत्र बल्लीकृपालपुर तहसील बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतराम प्रजापति पुत्र रामबरन नि० जयसिंहमऊ थाना तारुन अयोध्या अभि० द्वारा पंचायत भवन की भूमि पर कब्जा कर लेना मना करने पर गाली देना तथा कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करना जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 153/22 धारा 353, 504 भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवा० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.06.22 को वादी उ०नि० श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गौरव दूबे पुत्र अनिल दूबे नि० मिल्कीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 268/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.06.22 को वादी उ०नि० श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गौरव दूबे पुत्र अनिल दूबे नि० मिल्कीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 630 ग्राम गांजा बरामद नाजायज होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 269/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.06.22 को वादी श्री इकबाल हुसैन पुत्र अहमद हुसेन नि० मेहदौना थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जब्बार हुसैन पुत्र ताकिब हुसैन नि० मेहदौना थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 273/22 धारा 323, 304, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 14.06.22 को वादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र राम बहादुर नि० ओखा थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामनाथ पुत्र दयाराम नि० ओखा थाना खण्डासा अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 136/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।